

हरियाणा की नई आबकारी नीति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा कैबिनेट ने [नरिवाचन आयोग](#) से मंजूरी मलिन के बाद वर्ष 2024-25 के लिये एक नई आबकारी नीति को अपनी मंजूरी दे दी।

मुख्य बढि:

- 12 जून से शुरू होने वाली नई नीति में **इंडियन मेड फॉरेन लिक्विड (IMFL)** और देशी शराब पर **एक्साइज/आबकारी शुल्क** में मामूली बढोतरी होगी।
- मुख्यमंत्री नायब सहि सैनी** की अध्यक्षता में यहाँ कैबिनेट की बैठक हुई।
- वर्ष 2024-25 के लिये **IMFL** का अधिकतम बेसिक कोटा **700 लाख प्रूफ लीटर** (माप इकाई) और देशी शराब के लिये **1,200 लाख प्रूफ लीटर** होगा।
- IMFL और देशी शराब के लिये वर्ष 2023-24 में शुरू की गई **QR कोड-आधारित ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली** का वसितार आयातित विदेशी शराब तक भी किया जाएगा।
- नई नीति में रटिल दुकानों की अधिकतम संख्या वही रहेगी। **ई-नीलामी** में भाग लेने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को **आधार कार्ड** या परिवार पहचान-पत्र, पिछले तीन मूल्यांकन वर्षों के लिये **आयकर रटिर्न** प्रस्तुत करना होगा और उसकी न्यूनतम कुल संपत्ति **60 लाख रुपए** होनी चाहिये।
- चूँकि भोजपुरा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर **आदर्श आचार संहिता** लागू है, इसलिये नीति पर नरिणय लेने से पूर्व नरिवाचन आयोग की मंजूरी ली गई थी।

आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct)

- MCC एक सर्वसम्मत दस्तावेज है। राजनीतिक दल स्वयं चुनाव के दौरान अपने आचरण को नरित्ति रखने और संहिता के भीतर काम करने पर सहमत हुए हैं।
- यह चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत दिये गए जनादेश को ध्यान में रखते हुए मदद करता है, जो उसे संसद और राज्य विधानमंडलों के लिये **स्वतंत्र तथा नरिषिपक्ष चुनावों** की नगिरानी एवं संचालन करने की शक्ति प्रदान करता है।
- MCC चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से परिणाम की घोषणा की तारीख तक लागू रहता है।
- संहिता लागू रहने के दौरान सरकार किसी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकती, सड़कों या अन्य सुविधाओं के नरिमाण का वादा नहीं कर सकती और न ही सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में कोई तदर्थ नयिक्त कर सकती है।

आयकर रटिर्न

- आयकर:** आयकर एक वित्तीय वर्ष में अर्जति किसी व्यक्ति या व्यवसाय की वार्षिक आय पर लगाया जाने वाला कर है।
 - भारत में आयकर प्रणाली **आयकर अधिनियम, 1961** द्वारा शासित होती है और यह एक प्रत्यक्ष कर है।
- आयकर रटिर्न:** यह एक नरिदष्टि दस्तावेज है जिसका उपयोग किसी वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति की आय और उस आय पर भुगतान किये गए करों के विषय में आयकर विभाग को विवरण देने के लिये किया जाता है।
 - इसके अतिरिक्त, यह फॉर्म लोगों को हुए नुकसान को दर्शाने तथा आयकर विभाग से रफिंड का दावा करने की सुविधा भी देता है।